भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1503
दिनांक 13 फरवरी, 2025

प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा

†1503. डॉ. शशि थरूर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2016 में घोषणा की है कि भारत अपनी प्राथमिक ऊर्जा टोकरी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2016 में 6.14 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15 प्रतिशत कर देगा और ''गैस आधारित अर्थव्यवस्था'' बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की वर्तमान हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) 2012-13 से 2023-24 तक प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में देखी गई निवल गिरावट/वृद्धि के साथ-साथ इसी अवधि के लिए वार्षिक औसत गिरावट/वृद्धि क्या है;

(घ) 2030 तक अपनी प्राथमिकता ऊर्जा टोकरी में 15% प्राकृतिक गैस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार ने उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सरकार ने वर्ष 2030 में उर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की 15 % तक हिस्सेदारी बढ़ाने संबंधी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, भारत में उर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है।

(ग) वर्ष 2012-13 से 2023-24 के लिए प्राकृतिक गैस का वृद्धि/कमी प्रतिशतता के साथ निवल घरेलु उत्पादन निम्नवत है:

वर्ष	निवल घरेलु उत्पादन (एमएमएससीएम)	वृद्धि/कमी (% में)
वि.व 2012-13	39753	
वि.व 2013-14	34574	-13.03

वि.व 2014-15	32693	-5.44
वि.व 2015-16	31129	-4.78
वि.व 2016-17	30848	-0.90
वि.व 2017-18	31731	+2.86
वि.व 2018-19	32056	+1.02
वि.व 2019-20	30257	-5.61
वि.व 2020-21	27784	-8.17
वि.व 2021-22	33131	+19.24
वि.व 2022-23	33664	+1.61
वि.व 2023-24	35717	+6.10

स्रोत: पीपीएसी

नोट: खपत के लिए निवल उत्पादन,जो सकल उत्पादन से हानि तथा गैस फ्लेयर्ड को घटाने के बाद हासिल हुआ है।

(घ) से (च) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक प्राथमिक उर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस के 15 % के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश से विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को घरेलू गैस का आबंटन, उच्च दाब/उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों, गहरे समुद्री और अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों तथा कोल सीम्स से उत्पादित गैस के अधिकतम मूल्य सहित विपणन तथा मूल्य निर्धारण की आजादी प्रदान करना, जैव-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

सरकार ने घरेलु गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में आने वाले अन्वेषण रकबों को प्रदान करने हेतु हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) अधिसूचित की। इसके अलावा,सरकार ने 28 फरवरी, 2019 को नीति सुधारों को अधिसूचित किया जिसमें बहुत सी प्रक्रियाओं तथा अनुमोदनों में छूट दी गई थी, जिससे "व्यापार करने में सुलभता" को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें अप्रत्याशित लाभ के अतिरिक्त, बेसिन श्रेणी प्रकार II और III से राजस्व हिस्सेदारी को हटाना, गहरे और अत्यधिक गहरे ब्लॉक के लिए 7 वर्षों का रॉयल्टी अवकाश, गहरे और अत्यधिक गहरे ब्लॉक के लिए रॉयल्टी दरों में छूट तथा प्राकृतिक गैस संबंधी विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के साथ क्षेत्रों के शीघ्र मौद्रिकरण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 07.04.2023 की अधिसूचना के माध्यम से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के उनके नामांकन क्षेत्रों के नए कूप तथा कूप संबंधी गतिविधियों से उत्पादित गैस हेतु प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था मूल्यों पर 20% प्रीमियम को अनुमोदित किया है।

****